

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद

की लखनऊ जोन के अन्तर्गत वृन्दावन योजना लखनऊ के नवसृजित तथा राजाजीपुरम योजना, लखनऊ स्थित आवासीय भूखण्डों को विशेष ई-नीलामी के माध्यम से प्राप्त करने का

सुनहरा अवसर

आवासीय सम्पत्तियों की विशेष ई-नीलामी का विवरण

- विशेष ई- नीलामी की तिथि : 24.05.2022
- पंजीकरण तथा टोकन धनराशि : 11.05.2022 से 21.05.2022 जमा करने की अवधि

ई-नीलामी द्वारा निस्तारित होने वाली संपत्तियों हेतु ई-नीलामी पोर्टल :

<https://upavpauktion.procure247.com/home> देखें

नोट: ● उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद की अनावासीय एवं आवासीय संपत्तियों के निस्तारण सम्बन्धी विनियमावली यथा संशोधित-2016 के नियम-61 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत उक्त भूखण्डों के निस्तारण हेतु विशेष नियम व शर्तें निम्नवत हैं-

- प्रस्तावित ई-नीलामी में एकमुश्त भुगतान की सहमति पर ही प्रतिभागियों द्वारा ई-नीलामी में प्रतिभाग किया जा सकेगा, किशतों पर भुगतान अनुमन्य नहीं होगा।
- ई-नीलामी में प्रतिभाग करने हेतु टोकन धनराशि / EMD के रूप में भूखण्ड के कुल मूल्य का 20% धनराशि देय होगी, बोली बोलने अथवा आवंटन के पश्चात भूखण्ड क्रय करने से इनकार अथवा अदेयता की दशा में टोकन धनराशि के रूप में जमा सम्पूर्ण धनराशि जब्त की जाएगी।
- भूखण्ड आवंटन के 60 दिन में पूर्ण भुगतान पर 5% की छूट अनुमन्य नहीं होगी
- नीलामी हेतु ऑफ़लाइन आवेदन किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होंगे।
- शेष नियम व शर्तें उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद की अनावासीय एवं आवासीय संपत्तियों के निस्तारण सम्बन्धी विनियमावली यथा संशोधित -2016 में प्राविधानित व्यवस्था के अधीन यथावत होंगी।
- किसी भी नियम / विनियम, नियम व शर्तों, सम्पत्ति का विवरण यथा जोन, योजना, क्षेत्रफल आरक्षित दर, टोकन मनी आदि के सम्बन्ध में जानकारी परिषद की वेबसाइट www.upavp.in अथवा कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है, बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा।

ई-नीलामी हेतु सम्पर्क करें: 8866287104, 9574524058
(सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10.00 से सायं 5.30 बजे)

टोल फ्री: 1800-180-5333, 0522-2236803 (सोमवार से शुक्रवार)
(प्रातः 10.00 से सायं 6.00)

ई-मेल : tapan@tender247.com ; mahesh.baku@procure247.com ;
helpdesk@procure247.com

